



2026:AHC: 20375

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 179/2026

विपिन व एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी व 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजजन कुमार, तारा चंद कौशल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- 1- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
- 2- अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2008 से व्यथित होकर, एक बैजनाथ ने दिनांक 02.02.2012 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया। उक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति की वास्तविकता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए एक आवेदन दिया। चकबंदी अधिकारी ने, आदेश दिनांक 16.01.2020 के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया और विलंब क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ-साथ पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित किया गया। चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2020 के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत अपील को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से खारिज कर दिया गया, और उसी की पुष्टि उप निदेशक चकबंदी द्वारा आदेश दिनांक 17.11.2025 के माध्यम से की गई है।
- 3- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने से पहले, विलंब क्षमा प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय 'राम प्रकाश बनाम उप संचालक चकबंदी, हरदोई व अन्य, 2022 (155) आर.डी. 309'

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर भरोसा किया है। सुलभ संदर्भ के लिए, 'राम प्रकाश (उपरोक्त)' के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 19, 20 और 21 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"19- हम इस मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं कि विलंब क्षमा के आवेदन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है या अंतिम, क्योंकि इसे खंडपीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित नहीं किया गया है। विलंब क्षमा के आवेदन के साथ दायर की गई अपील में विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले, विलंब क्षमा के आवेदन को खारिज किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, अपील भी विफल हो जाएगी। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि विलंब क्षमा के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाए और उसके बाद अपील को या तो स्वीकार किया जा सकता है या खारिज किया जा सकता है।

20- यदि कोई विधि अपील दायर करने के लिए एक निश्चित अवधि प्रदान करता है, तो समय सीमा के बाद दायर की गई अपील को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि 1963 अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और पक्षकार अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा कराने का हकदार है, तो उन आधारों को निर्दिष्ट करते हुए एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिन पर अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। आवेदन स्वीकार होने के बाद ही अपील को स्वीकार किया जा सकता है और गुण-दोष के आधार पर सुना जा सकता है। उससे पहले अपील को गुण-दोष के आधार पर नहीं लिया जा सकता और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

21- जहाँ तक विलंब क्षमा के आवेदन और अपील पर एक साथ सुनवाई के मुद्दे का संबंध है, हमारी राय में, सबसे पहले आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद ही अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए विलंब क्षमा के आवेदन को स्वीकार करने के बाद अनिवार्य रूप से गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई को स्थगित करने की आवश्यकता हो। दोनों को एक ही दिन लिया जा सकता है। हालाँकि, अपील को गुण-दोष के आधार पर केवल विलंब क्षमा के आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद ही सुना जाना चाहिए।"

4- उपरोक्त के आलोक में, इस रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए इसे एतद्वारा इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि चकबंदी अधिकारी, इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा 'राम प्रकाश (उपरोक्त)' के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब क्षमा आवेदन और पुनर्स्थापन आवेदन को निर्णीत करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

29 जनवरी, 2026

वी.आर.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।